कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, पिन–248195

पत्रांक: 85 / सा0प्र0 / अभिलेखों का निस्तारण / 2023–24 / 05 दिनांक: 05.12.2023

निष्प्रयोज्य रद्दी पेपर निविदा सूचना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून द्वारा निष्प्रयोज्य **पुराना पेपर/रद्दी/गत्ता** की बिक्री हेतु निविदा के माध्यम से दरे (प्रतिकिलो) दिनांक 20.12.2023 सायं 04:00 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

निविदा की नियम एवं शर्तें निम्नवत् है :–

1. निविदाकर्ता फर्म द्वारा कानूनी रूप से सभी औपचारिकतायें जैसे – पैन कार्ड एवं GST आदि में पंजीकृत होना चाहिए एवं सम्बन्धित साक्ष्य भी निविदा के साथ संलग्न करना है।
2. निविदाकर्ता निष्प्रयोज्य **पुराना पेपर/रद्दी/गत्ता सामग्री** को दिनांक 11.12.2023 से 15.12.2023 तक प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 तक इस कार्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग की अनुमति लेकर भौतिक रूप से देख सकते है।
3. निविदाकर्ता भौतिक रूप से देखी गयी निविदा योग्य निष्प्रयोज्य **पुराना पेपर/रद्दी/गत्ता** की निविदा हेतु प्रतिकिलों की दर से मूल्य को शब्दों तथा अंकों में स्पष्ट रूप से लिखकर सीलबन्द लिफाफे में कार्यालय के निविदा बॉक्स में निर्धारित दिनांक तक डालेंगे।
4. निविदायें दिनांक 21.12.2023 को निविदाकर्ताओं के समक्ष प्रातः 11:00 बजे कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जायेगी, समिति द्वारा उच्चतम दर देने वाले निविदाकर्ता को अन्य सभी शर्तों को पूरा करने पर उच्चतम निविदाकर्ता अनुशंसित करने का प्राधिकार होगा।
5. उच्चतम निविदाकर्ता को कार्यालय द्वारा समय–समय पर रद्दी पेपर की बिक्री हेतु बुलाया जायेगा तथा उसे स्वयं के खर्चे पर आदेश जारी होने के 10 दिनों के अन्दर रद्दी पेपर को फाड़कर कार्यालय परिसर में ही तराज़ू के माध्यम से तोलकर पूर्ण भुगतान करने पर ही सामग्री को बाहर ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
6. निविदाकर्ता द्वारा नियमानुसार Tax Collection at Source (TCS) का भुगतान भी करना होगा।
7. यह कार्यालय बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है।
8. समिति द्वारा अनुशंसित उच्चतम निविदाकर्ता की दरें दिनांक 30.11.2024 तक वैध रहेगी।
9. फर्म द्वारा पेपर/रद्दी/गत्ता के निष्प्रयोज्य का कार्य 01 वर्ष में त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।

5/12/23

वरिष्ठ लेखाधिकारी/सामान्य प्रशासन